

कार्यालय जिला शाहरी विकास अभिकरण सतना M030
विधानसभा तारकित प्रश्न 1598 की जानकारी।

परिशिष्ट

१४

क्र०	निकाय का नाम	प्रश्न (क)	प्रश्न (ख)	प्रश्न (ग)	प्रश्न (घ)
		यथा नगरीय क्षेत्रों में अतिक्रमण ऑडिट होता है, जिससे सार्वजनिक उपयोग की व शासकीय भूमि का सीमांकन पता चल सके, कि हर क्षेत्र वर्ग कितनी शासकीय भूमि पर अतिक्रमण हो चुका? यदि नहीं तो क्या ऐसा अतिक्रमण ऑडिट सभी नगर विभाग, नगर पालिका व नगर पंचायतों में हर वर्ष करवाकर टोटल स्टेशन से सीमांकन कर मुनावा गारुडों का नियम बनाया जाएगा? यदि हाँ तो कब? नहीं तो क्या?	नगरीय क्षेत्रों में सतना अतिक्रमण पर धाट कर शासकीय भूमि रिक्त करवाने पर विभाग ने सतना जिले में कितने एकड़ भूमि पिछले वर्ष 2023-24 में प्राप्त की है एवं कितनी बाकी है?	सतना नगर विभाग क्षेत्र की रिहाइशी कॉलोनीयों में अकेले छत्ते बाहर निकाल कर सार्वजनिक नाली व सड़क पर अतिक्रमण पर विभाग ने विगत 5 वर्षों में कब-कब, क्या-क्या कार्यवाहियां की हैं? सड़क अतिक्रमणकारियों पर कब-कब सतना-कितना जुर्माना लगाया गया है? वर्षवार पूर्ण जानकारी दें।	सतना नगर विभाग अनामल तारकत यारु में क्या स्पी सड़क अतिक्रमण मुक्त है? यदि नहीं तो कब तक होगा?
1	न.प. चिन्कट	जी नहीं। शासकीय भूमि का सीमांकन राजस्व विभाग मध्यप्रदेश द्वारा किया जाकर शासकीय भूमियों पर किए गए अतिक्रमण का चिन्तकन किया जाता है। प्रश्न का शेष भाग इस निकाय से संबंधित नहीं है।	निरक	निकाय से संबंधित नहीं है।	निकाय से संबंधित नहीं है।
2	न.प. नागाद	जी नहीं। शासकीय भूमि का सीमांकन राजस्व विभाग मध्यप्रदेश द्वारा किया जाकर शासकीय भूमियों पर किए गए अतिक्रमण का चिन्तकन किया जाता है। प्रश्न का शेष भाग शासन से संबंधित है।	निरक	निकाय से संबंधित नहीं है।	निकाय से संबंधित नहीं है।
3	न.प. उर्वरवा	जी नहीं। शासकीय भूमि का सीमांकन राजस्व विभाग मध्यप्रदेश द्वारा किया जाकर शासकीय भूमियों पर किए गए अतिक्रमण का चिन्तकन किया जाता है। प्रश्न का शेष भाग इस निकाय से संबंधित नहीं है।	निरक	नगर परिषद उर्वरवा से संबंधित नहीं है।	नगर परिषद उर्वरवा से संबंधित नहीं है।
4	न.प. रामपुर बरसाना	जी नहीं। शासकीय भूमि का सीमांकन राजस्व विभाग मध्यप्रदेश द्वारा किया जाकर शासकीय भूमियों पर किए गए अतिक्रमण का चिन्तकन किया जाता है। प्रश्न का शेष भाग शासन से संबंधित है।	निरक	निकाय से संबंधित नहीं है।	निकाय से संबंधित नहीं है।
5	न.प. कोठी	शासकीय भूमि का सीमांकन राजस्व विभाग मध्यप्रदेश द्वारा किया जाकर शासकीय भूमियों पर किए गए अतिक्रमण का चिन्तकन किया जाता है। प्रश्न का शेष भाग इस निकाय से संबंधित नहीं है।	निरक	निकाय से संबंधित नहीं है।	निकाय से संबंधित नहीं है।
6	न.प. जैतवासा	जी नहीं। शासकीय भूमि का सीमांकन राजस्व विभाग मध्यप्रदेश द्वारा किया जाकर शासकीय भूमियों पर किए गए अतिक्रमण का चिन्तकन किया जाता है। प्रश्न का शेष भाग शासन से संबंधित है।	निरक	निकाय से संबंधित नहीं है।	निकाय से संबंधित नहीं है।
7	न.प. चिरसिंहपुर	शासकीय भूमि का सीमांकन राजस्व विभाग मध्यप्रदेश द्वारा किया जाकर शासकीय भूमियों पर किए गए अतिक्रमण का चिन्तकन किया जाता है। प्रश्न का शेष भाग इस निकाय से संबंधित नहीं है।	निरक	इस निकाय से संबंधित नहीं है।	इस निकाय से संबंधित नहीं है।
8	न.प. कोटर	नहीं। शासकीय भूमि का सीमांकन राजस्व विभाग मध्यप्रदेश द्वारा किया जाकर शासकीय भूमियों पर किए गए अतिक्रमण का चिन्तकन किया जाता है। प्रश्न का शेष भाग शासन से संबंधित है।	निरक	इस निकाय से संबंधित नहीं है।	इस निकाय से संबंधित नहीं है।

कार्यालय सत्री

नगरीय प्रशासन एवं विकास

भोपाल

अपर कलेक्टर

एवं परियोजना अधिकारी

जिला शाहरी विकास अभिकरण

जिला सतना M030